निबंधन संख्या पी0टी0-40

# बिहार गजट
## असाधारण अंक
## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

**6 आश्विन 1942 (श0)**
**(सं0 पटना 647) पटना सोमवार 28 सितम्बर 2020**

सं० वन्य प्राणी–02/2002 1125 (ई०)/प०व०ज०प०,
**पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग**

**संकल्प**
**23 सितम्बर 2020**

**विषय :– जंगली जानवरों द्वारा जान–माल की क्षति किए जाने पर पीड़ितों को सहाय्य राशि के भुगतान के संबंध में।**

जंगली जानवरों द्वारा आम लोगों के जान–माल (पशुधन सहित सम्पत्ति) को पहुँचाई गई विभिन्न किस्मों की क्षति की स्थिति में पूर्व से निर्गत विभागीय पत्रांक वन्यप्राणी–02/02 – 421(ई०)/प०व० दिनांक 05.09.2015 के द्वारा पहुंचाई गयी क्षति के विरूद्ध प्रभावित व्यक्तियों/उनके आश्रितों को निर्धारित दर के अनुसार सहाय्य राशि का भुगतान किए जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त संकल्प में क्षति पहुंचाने वाले जंगली जानवरों का नाम निर्दिष्ट नहीं किया गया है। अतएव मानव जान–माल की क्षति पहुंचाने वाले जंगली जानवरों का नाम निर्दिष्ट करते हुए उक्त संकल्प की प्रथम कण्डिका को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :–

राज्य में विभिन्न जंगली जानवरों द्वारा विभिन्न प्रकार की मानव जान–माल की क्षति के लिए पीड़ितों अथवा उनके आश्रितों को सहाय्य राशि का भुगतान निम्नवत् किया जायेगा :–

**(क) जंगली जानवर/वन्यप्राणी (बाघ, तेन्दुआ, हाथी, भालू, जंगली सूअर, लकड़बग्घा, सियार, भेड़िया, गैण्डा, जंगली कुत्ता, मगरमच्छ एवं घड़ियाल) द्वारा शारीरिक क्षति होने पर:–**

| क्र.सं. | क्षति का प्रकार | सहाय्य राशि (रू० में) |
|---|---|---|
| i. | मनुष्य की मृत्यु अथवा स्थायी अक्षमता पर | 5,00,000/– |
| ii. | मनुष्य की गहरी चोट पर | 72,000/– |
| iii. | मनुष्य को हल्की चोट या घायल होने पर | 12,000/– |

(ख) जंगली जानवर/वन्यप्राणी (बाघ, तेन्दुआ, हाथी, भालू, लकड़बग्घा, भेड़िया) द्वारा पालतू पशुओं/मवेशियों के मारे जाने पर :–

| क्र.सं. | क्षति का प्रकार | सहाय्य राशि (रू० में) |
|---|---|---|
| i. | भैंस, गाय, बैल की मृत्यु होने पर | 12,000/– |
| ii. | भेड़, बकरा की मृत्यु होने पर | 2,400/– |
| iii. | बकरी की मृत्यु होने पर | 3,600/– |

(ग) जंगली जानवर/वन्यप्राणी (हाथी एवं गैण्डा) द्वारा मकान (कच्चा/पक्का) की क्षति किये जाने पर :–

| क्र.सं. | क्षति का प्रकार | सहाय्य राशि (रू० में) |
|---|---|---|
| i. | पक्का मकान (पूर्ण रूप से नष्ट) | 48,000/– |
| ii. | मिट्टी की दीवार पर खपड़ा या कोरेगेटेड शीट की छत वाली मकान (पूर्ण रूप से नष्ट) | 24,000/– |
| iii. | पक्का मकान (गम्भीर रूप से क्षतिगस्त) | 24,000/– |
| iv. | कच्चा मकान (गम्भीर रूप से क्षतिग्रस्त) | 12,000/– |
| v. | साधारण रूप से क्षतिग्रस्त मकान | 6,000/– |

(घ) जंगली जानवर/वन्यप्राणी (हाथी एवं जंगली सूअर) के द्वारा फसल क्षति किये जाने पर:–

| क्र.सं. | क्षति का प्रकार | सहाय्य राशि (रू० में) |
|---|---|---|
| i. | फसल नष्ट होने पर | 25,000/–प्रति हेक्टेयर |

2. विभागीय संकल्प संख्या–421 (ई0), दिनांक 05.09.2015 में किए गए शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

**आदेशः–** आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**सुबोध कुमार चौधरी,**
सरकार के संयुक्त सचिव।

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,**
**बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।**
**बिहार गजट (असाधारण) 647-571+500-डी0टी0पी0।**
**Website: http://egazette.bih.nic.in**